**किरायानामा**

यह किरायानामा दिनांक **01/12/2022** (किरायानामा की तारीख) को **अशोक कुमार सिंह** (मकान मालिक का नाम) पुत्र स्वर्गीय धर्मनाथ सिंह (मकान मालिक के पिता का नाम) द्वारा बनाया गया है।

**तथा**

**कुसुम देवी** (किरायेदार का नाम) पति स्वर्गीय शंकर प्रसाद (किरायेदार के पति का नाम) के बीच निष्पादित किया गया है/लिखा गया है ।

मालिक दो कमरे, एक शौचालय/बाथरूम, एक रसोई घर किराए पर देने के लिए सहमत हो गए है ।

**मकान का पता:** प्लाट – 48 श्री राम लगन सिंह, C/O अशोक कुमार सिंह, खासमहल रोड नंबर-3 चिरैन्यातर पटना- 800001 बिहार ।

किरायेदार इसे रुपये **पांच हजार पांच सौ** केवल/- (शब्दों में) प्रति माह के किराए पर लेने के लिए सहमत हो गए है। यह किरायानामा दिनांक 01/11/2023 को समाप्त होगी।

**नियम और शर्तें:** -

1. यह कि किरायेदार RS. \_\_\_5500\_\_\_\_/- प्रति माह, रुपये के मासिक किराए के रूप में भुगतान करेंगे । बिजली का किराया इसके अलावा होगा । मालिक और किरायेदार के बीच समझौते के अनुसार राशि में वृद्धि हो सकती है।
2. यह कि किरायेदार हर महीने की 5 तारीख से पहले किराए का भुगतान करेंगे ।
3. यह कि किरायेदार ऊपर वर्णित मकानके किसी भी हिस्से को मालिक की सहमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य को उप-किराए पर नहीं देंगे ।
4. यह कि किरायेदार किराये पर दिए गए परिसर के संबंध में स्थानीय कानून के सभी उपनियमों, नियमों और विनियमों का पालन करेगा और उक्त किराये पर दिए गए परिसरों में कोई अवैध गतिविधियां नहीं करेंगे ।
5. यह कि यह किरायानामा दिनांक **01/12/2022** (किराए के प्रारंभ होने की तिथि) से केवल ग्यारह (11) माह की अवधि के लिए प्रदान किया गया है और प्रचलित किराये के आधार पर दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से इस किरायानामा को आगे बढ़ाया जा सकता है।
6. यह कि किरायेदार किराये पर दिए गए परिसर को किसी भी नुकसान या संपत्ति के नए पेंट को किसी भी नुकसान के लिए भुगतान करना होगा।
7. यह कि किरायेदार मालिक को मीटर की आनुपातिक खपत के अनुसार बिजली शुल्क का भुगतान करेंगे ।
8. यह कि किरायेदार किराए के परिसर में मालिक की पूर्व सहमति के बिना अस्थायी साज-सज्जा, लकड़ी के विभाजन/केबिन, एयर-कंडीशनर आदि की स्थापना सहित ढाँचा बनाने का हकदार नहीं होगा।
9. यह कि किरायेदार मालिक की लिखित सहमति के बिना उक्त परिसर में न तो कुछ भी जोड़ / परिवर्तन कर सकता है, और न ही किरायेदार किसी व्यक्ति (ओं) / फर्म (कंपनी) / कंपनी (कंपनी) को आंशिक या पूरे परिसर को किराए पर दे सकता है।
10. यह कि किरायेदार उक्त परिसर को साफ रखेंगे ।
11. यह कि किरायेदार अपनी लागत पर दिन-प्रतिदिन छोटी-मोटी मरम्मत करेंगे।
12. यह कि यदि किरायेदार कोई अनाधिकृत/अवांछित गतिविधि करता हुआ पाया जाता है तो मालिक द्वारा इस किरायानामा की अवधि समाप्त होने से पहले इस किरायानामा को समाप्त किया जा सकता है तथा किरायदार को मकान फ़ौरन खाली करना होगा ।
13. यह कि किरायेदार अगर कभी भी मकान को खाली करते है तो मकान मालिक को 1 महीने पहले बताना होगा यदि किरायदार 1 महीने पहले मकान मालिक को नहीं सूचित करते है तो 1 महीने का पूरा किराया मकान मालिक को देना होगा ।
14. यह कि किरायेदार उक्त परिसर में कोई आपत्तिजनक, खतरनाक, विस्फोटक या अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री का भंडारण नहीं रखेगा और किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों के लिए उसका उपयोग नहीं करेगा।
15. यह कि किरायेदार द्वारा एक माह का अग्रिम किराया मकान मालिक को देना होगा, जिसे मासिक किराये में समायोजित किया जायेगा।
16. यह कि दोनों पक्षों ने इस समझौते की सभी नियम को पढ़ और समझ लिया है और बिना किसी दबाव के इस पर हस्ताक्षर किए हैं।

**मैं कुसुम देवी** **(किरायेदार का नाम) ने उपरोक्त नियमों को पढ़ लिया है और उपरोक्त सभी शर्तों का पालन करुँगी |**

**अशोक कुमार सिंह कुसुम देवी**

(मकान मालिक का नाम)  (किरायेदार का नाम)

आधार संख्या -7408 0587 5880

**मालिक किरायेदार**